मैनुअल–04

भाग–1

व मैनुअल–11

संख्या 85 /XXIV(1)नवसृजित 16/2017

प्रेषक,

डॉ रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
ननूरखेड़ा देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः 10 मार्च, 2017**

विषयः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो से सम्बन्धित दर निर्धारण हेतु मॉडल आंगणनों पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या रा0प0नि0/1665/CW-SoR (TC)/2016–17 दिनांक 16 फरवरी, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के मॉडल आंगणनों के तकनीकी परीक्षण के उपरान्त पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र हेतु मॉडल आंगणन एवं उनकी लागत को निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	निर्माण कार्य का नाम (मैदानी क्षेत्र)	अनुमोदित धनराशि		
		शिड्यूल दर आधार पर	नॉन शिड्यूल दर आधार पर	महायोग
1	उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण	17.14	0.35	17.49
2	राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण	15.14	0.29	15.43
3	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	6.19	0.06	6.25
4	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में किचन कम स्टोर का निर्माण (छात्र संख्या 150 अधिक)	3.44	0.04	3.48
5	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय ब्लाक का निर्माण	2.00	–	2.00
6	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण	7.30	0.09	7.39
7	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में किचन कम स्टोर का निर्माण (छात्र संख्या 150 से कम)	2.08	0.04	2.12
8	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण	0.034	–	0.034

(धनराशि लाख रू0 में।)

क्र0 स0	निर्माण कार्य का नाम (पहाड़ी क्षेत्र)	अनुमोदित धनराशि		
		शिड्यूल दर आधार पर	नॉन शिड्यूल दर आधार पर	महायोग
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण	19.27	0.07	19.34
2	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण	24.83	0.35	25.18
3	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	7.86	0.06	7.92
4	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय ब्लाक का निर्माण	2.72	—	2.72
5	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में किचन कम स्टोर का निर्माण (छात्र संख्या 150 से कम)	3.14	0.03	3.17
6	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों किचन कम स्टोर का निर्माण (छात्र संख्या 150 से कम)	4.36	0.03	4.39
7	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण	0.045	—	0.045
8	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण	9.62	0.13	9.75

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों को ध्यान मे रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(5) विस्तृत आगणन में प्रावधानित डिजायन एवं मात्रओं आदि हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप उत्तरदायी होगें।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप प्राप्त कर ली जाय।

(7) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व Uttarakhand procurement Rules, 2008

2– निर्माण कार्यों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त मॉडल आंगणन टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षण एवं अनुमोदन के फलस्वरूप मूलरूप में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किये जा रहे हैं।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0 329 (P) /XXVII (3)/2016 दिनांक 9–3–2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 85 /XXIV(1)नवसृजित/2017तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग 1(बेसिक)

संख्या:– 35/XXIV(1)/2017-24/2015 T.C.
देहरादून : दिनांक:18 मई, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

विद्यालयों के नाम परिवर्तन के सबन्ध में नीति विषयक शासनादेश संख्या–496/XXIV-2/13/11(05)/2009 दिनांक 20 जुलाई, 2013 के अनुक्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक–नियोजन/(04)/23360/वि0नि0प0/2016–17 दिनांक 12 जनवरी, 2017 के प्रस्तावानुसार जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकासखण्ड द्वाराहाट में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, महतगांव तथा राजकीय जूनियर हाईस्कूल महतगांव, का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी स्वर्गीय श्री रेवाधर अधिकारी के नाम पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
प्रभारी सचिव।

संख्या–66 /XXIV(1)/2017–24/2015–टी0सी0, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मंत्री, विद्यालयी शिक्षा को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, प्रभारी सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
7. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल
9. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
10. मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जनपद अल्मोड़ा।
11. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय महतगांव एवं राजकीय जूनियर हाईस्कूल महतगांव, विकासखण्ड द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–1195 /XXIV(1)/2017-24\2015टी0सी0
देहरादून दिनांक 15 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विद्यालयों के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में नीति विषयक शासनादेश संख्या: 496/XXIV–2/13/11(05)/2009, दिनांक 20 जुलाई, 2013 के अनुक्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक–नियोजन(04)14894/14(20)/वि0न0प0/2016–17, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 एवं पत्रांक नियोजन(04)/8788/वि0न0प0(14)/2017–18, दिनांक 21 जुलाई, 2017 के प्रस्तावानुसार, जनपद नैनीताल के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शीशम भुजिया, हल्द्वानी का नाम कारगिल शहीद सैनिक स्व0 श्री हर्ष सिंह रौतेला रा0प्रा0विद्यालय, शीशम भुजिया, हल्द्वानी रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या– /XXIV(1)/2017-24/2015टी0सी0 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
8. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जनपद–नैनीताल।
10. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शीशम भुजिया, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग--4
संख्या– /XXIV–4/6(33)2014
देहरादून दिनांक 18 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–अशा(06)/26896/इ0रा0बौ0जजा0जू0हाई0/अनुदान/2016–17 दिनांक 24 जनवरी, 2018 के माध्यम से किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में शासनादेश संख्या–156/XXIV–4–/2014–6(15)/2014 दिनांक 28 फरवरी, 2014 के संलग्न के कमांक–12 में अंकित विद्यालय इन्दिरा राष्ट्रीय बोक्सा जनजाति जू0हाईस्कूल, मेदनीपुर, बद्रीपुर एवं पिपरपुर, देहरादनू के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए इन्दिरा राष्ट्रीय बोक्सा जनजाति जू0 हाईस्कूल, मेदनीपुर, बद्रीपुर एवं तिपरपुर, देहरादून किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं शासनादेश संख्या–1657/XXIV–4–/2016–6(33)/2015 21 दिसम्बर, 2016 के कमांक–11 पर पिपरपुर के स्थान पर तिपरपुर पढ़ा जाय।

2– उपर्युक्त संख्या–156/XXIV–4–/2014–6(15)/2014 दिनांक 28 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या–1657/XXIV–4/2016–6(33)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है एवं शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

संख्या–298/XXIV–4/3(33)2014 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊमण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक।
10. वित्त अनुभाग–3/7, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।